# अस्तित्व से जूझता राष्ट्रीय पक्षी मोर

**नरेंद्र देवांगन**

केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मोरपंखों की खरीद व परिवहन की खुली छूट देकर मोर के शिकार का रास्ता खोल दिया है। मोरपंखों के व्यापार की छूट होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 'इंडियन पिकॉक' के नाम से मशहूर भारत के मोरपंखों की इटली, फ्रांस, डेनमार्क व अमरीका में बेहद मांग के चलते मोरपंखों की तस्करी को बढ़ावा मिला है। आज तक ढीले-ढाले रवैये के चलते वन व पुलिस विभाग दस-बीस शिकारियों को भी नियमों के तहत सज़ा नहीं दिलवा पाए हैं और न जुर्माना वसूल सके हैं। पंखों की तस्करी से धन कमाने की लालसा का यही हाल रहा, तो मोर के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे।

1960 में टोक्यो में पक्षियों का परीक्षण करने वाली अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि प्रत्येक राष्ट्र अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित करे। इसी प्रस्ताव के तहत 1963 में जनवरी के अंतिम सप्ताह माघ मास की पंचमी के दिन भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। मोर को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। भारत सहित श्रीलंका और म्यांमार में भी मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। सौंदर्य का प्रतीक मोर राजा-महाराजाओं के दरबार की शोभा बढ़ाने वाला रहा है। सुंदर पंखों वाला मोर कलासाधकों की कलाकृतियों में प्रमुख स्थान रखता है।

मोर दुनिया का सर्वाधिक सुंदर पक्षी है। इसमें सुंदरता, आत्मबल, धैर्य, मैत्री आदि भावनाओं का समागम मिलता है। अन्य जंतु प्रजातियों के समान मोर में भी नर सुंदरता में मादा से बाज़ी मार ले गया है। नर पक्षी की देह दुम सहित करीब दो मीटर लंबी होती है, जबकि मादा एक मीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। मादा का पूरा बदन भूरा-मटमैला और अनाकर्षक होता है, जबकि नर उन्नत ग्रीवा, सिर पर काली कलगी, मायल भूरे पंख और अद्‌भुत रंग-विधान में रंगे पुच्छ-पंखों सहित बहुत ही मनोहारी दिखाई देता है।

मोर को सर्द और गर्म दोनों ही तरह की जलवायु प्रिय है। इसीलिए यह हमारे देश में प्रायः सब जगह पाया जाता है। हिमालय के पहाड़ों में भी डेढ़ हज़ार मीटर की ऊंचाई तक मोर का मिल जाना सामान्य बात है। मुगल बादशाहों की तरह ही मोर के 'हरम' में भी तीन से पांच तक 'रानियां' होती हैं। वर्षा ऋतु इस पक्षी का जननकाल होता है। उस समय कामातुर नर मादा के सामने मस्त होकर नाचता है। उसके आतुर कंठ से निकली 'पिट्‌टू...पिट्‌टू..' की आवाज़ें भीगे मौसम को और अधिक मादक बना देती हैं। अंततः मोरनी मोर के नृत्य पर रीझकर उसे अपनी देह समर्पित कर देती है। कुछ समय पश्चात वह ज़मीन पर बने घास-फूस के घोंसले में 6-7 अंडे देती है। अंडों और बाद में बच्चों की संभाल का सारा भार मोरनी पर ही आता है। मोर इस कठिन समय में निष्ठुर बनकर पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लेता है।

स्वभाव से मोर बहुत चतुर पक्षी है तथा इसके आंख व

कान बहुत तेज़ होते हैं। ज़रा-सा खटका होते ही नर-मादा सम्मिलित रूप से 'पिट्टू...पिट्टू...' चिल्लाकर आसमान सर पर उठा लेते हैं। शत्रु को निकट पाकर, ये पंखों को फटकारते हुए तुरंत ऊपर उड़ जाते हैं। इनकी उड़ान शुरू में तो धीमी होती है, लेकिन कुछ देर बाद ये अच्छी गति से उड़ने लगते हैं।

मोर पूरे दिन खेतों में घूमता रहता है। यह सर्वभक्षी जीव है और अनाज के अतिरिक्त मेंढक, कीड़े-मकोड़े, छोटे सांप आदि सब कुछ खा जाता है। सांझ ढले तक खूब खाकर यह पेटभर पानी पीता है, और फिर चैन से अपने रैन बसेरे की राह लेता है।

मोर मनुष्यों की बस्ती के आसपास रहते हैं। ग्रामीण लोगों का अपार स्नेह पाकर मयूर बहुत ढीठ स्वभाव का हो गया है और खड़ी फसल से उड़ाने पर भी नहीं उड़ता। वह जानता है कि ग्रामीण उसे मारेंगे नहीं, इसलिए इसके पास पहुंचना आसान होता है। ये बहुत अधिक दूर या ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते व नियत स्थानों पर रात बिताते हैं। इसलिए शिकारियों के लिए इनको निशाना बनाना आसान होता है। अतः मोर धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है। शिकारियों का कहना है कि इन्हें पकड़ना मुश्किल भी हो, तो ज़हरीला दाना डाल देते हैं।

सूखे के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में मोरों का शिकार हो रहा है। प्राकृतिक रूप से झड़ने वाले मोरपंख पर खून नहीं लगा होता। शिकारियों द्वारा मोरों की हत्या कर मोरपंखों को नोचे जाने पर खून लगा होने के कारण उसका कुछ हिस्सा काट दिया जाता है। डीडीटी के अंधाधुंध छिड़काव तथा कीटनाशकों से उपचारित बीजों के कारण भी मोर मारे जाते हैं।

कहने को राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या को गैर जमानती माना गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को अनुसूची-1 में श्रेणीबद्ध किया गया है। अनुसूची-1 में श्रेणीबद्ध पक्षियों के प्रति किसी भी अपराध के लिए 1 से 7 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हज़ार से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन पुलिस व वन विभाग की ढिलाई व कड़े कानूनों की अनदेखी के कारण समूचे देश में प्रतिदिन लगभग 200 मोरों का शिकार हो रहा है या उनकी हत्या हो रही है। अकेले राजस्थान में प्रतिदिन औसतन 10 मोर मारे जाते हैं।

कई जीवों की तरह मोर भी लोगों की चिकित्सा-मान्यता का शिकार है। पंजाब के देहाती इलाकों में मोरपंखों का उपयोग दवा के रूप में भी होता है। मान्यता है कि सांप द्वारा डसा हुआ व्यक्ति यदि इन पंखों को सुलफी में भरकर पी ले, तो उसके शरीर से सांप का ज़हर उतर जाता है। यह कहां तक सच है, कहना कठिन है।

भारतीय जन जीवन के हर पक्ष के साथ मोर बहुत गहराई से जुड़ा है। प्राचीन भारत में मौर्य और गुप्त वंश के सम्राट तो इस पक्षी को संरक्षक के रूप में पूजते थे। उस समय की भारतीय मुद्राओं पर मोर का ठप्पा अंकित होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से पता लगता है कि मोर को उस समय लोग देवता के रूप में पूजते थे। मिस्र, चीन, जापान आदि देशों में भी मयूर-स्तवन की परंपराएं प्रचलित थीं। लेकिन वर्तमान में मोर की हर स्तर पर उपेक्षा हो रही है। पहले लोग मोरों के संरक्षण के लिए चिंतित रहते थे, लेकिन अब गांवों में भी मोरों की उपेक्षा का आलम है। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। मोर के शिकार की घटनाओं की जानकारी न समाचार पत्रों में आती है न वन्य जीव प्रेमियों को पता चलता है। अगर इनकी हत्या का सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन राष्ट्रीय पक्षी मोर बीते दिनों की बात होकर केवल चित्रों में दिखाई देगा। ***(स्रोत फीचर्स)***


# स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

सदस्यता शुल्क एकलव्य, भोपाल के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से भेजें।

पता - ***ई-10,शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016***

**वार्षिक सदस्यता**
**व्यक्तिगत 150 रुपए**
**संस्थागत 300 रुपए**